जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 18.12.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 458/24 धारा 137(2)/87/70(2) बीएनएस व 5/6छ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.09.2024 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 25.09.2024 की रात्रि में अभियुक्त फैजान पुत्र फुरकान निवासी ग्राम पल्लावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर वादी की 14 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 458/24 धारा 137(2) बीएनएस बनाम फैजान उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 87 / 70(2) बीएनएस व 5/6छ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई तथा अभियुक्तगण 1.विजेन्द्र पुत्र जयनारायण निवासी ग्राम पाठरी थाना मतलोढा जनपद पानीपत (हरियाणा) व 2.नीटू उर्फ रमेश पुत्र मलखान निवासी ग्राम घोगडीपुर थाना मधुबन जनपद करनाल (हरियाणा) के नाम प्रकाश में आये है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.12.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.विजेन्द्र पुत्र जयनारायण निवासी ग्राम पाठरी थाना मतलोढा जनपद पानीपत (हरियाणा) व 2.नीटू उर्फ रमेश पुत्र मलखान निवासी ग्राम घोगडीपुर थाना मधुबन जनपद करनाल (हरियाणा) को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.विजेन्द्र पुत्र जयनारायण निवासी ग्राम पाठरी थाना मतलोढा जनपद पानीपत (हरियाणा)

2.नीटू उर्फ रमेश पुत्र मलखान निवासी ग्राम घोगडीपुर थाना मधुबन जनपद करनाल (हरियाणा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री ब्राइट फ्लावर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 1867 अमित थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 216 मनोज थाना धामपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 18.12.2024**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैर-इरादतन हत्या कारित करने वाले अभियुक्त को 08 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 22,000 /- के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 22.05.2024 को वादी श्री चेतराम पुत्र फुल्लु सिंह निवासी ग्राम शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि दिनांक 20.05.2024 को समय रात्रि करीब 08.30 बजे वादी का भाई मुनेश गांव में जा रहा था तभी मनोज व अजय पुत्र पप्पू निवासीगण शहजादपुर ने गाली-गलौच करते हुए लाठी-डंडो से मुनेश के साथ मारपीट की गयी, जिससे मुनेश का हाथ टूट गया व सिर में भी चोट आयी तथा वह मौके पर बेहोश हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 323/325/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान घायल मुनेश की मृत्यु हो गयी थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 304 भादवि की वृद्धि की गयी। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.12.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 103/24 धारा 304(II)/323/504/506 भादवि के आरोपी अभियुक्त मनोज पुत्र पप्पू उर्फ रामौतार निवासी शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 22,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

मनोज पुत्र पप्पू उर्फ रामौतार निवासी शहजादपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 18.12.2024**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 596/24 धारा 126(2)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.12.2024 को वादी राजकुमार पुत्र नृपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मनोज कुमार निवासी नामालूम 2.कपिल पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम रामखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.विनीत पुत्र बलकरन निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4.लवकुश पुत्र भगत निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी का रास्ता रोककर वादी के सिर मे जान से मारने की नियत से सरिया व लाठी डण्डो से वार किया, जिससे वादी को सिर में चोट आयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 596/24 धारा 126(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कपिल उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 18.12.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विनीत पुत्र बलकरन निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विनीत पुत्र बलकरन निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 असकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.मुख्य आरक्षी 689 पुष्पेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

4.आरक्षी 1229 विवेक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर